FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....

.....विद्या देवी.....बनाम.....शिव सिंह.....

किस्म मुकदमा.....225.....नं0 .....सन्.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
28.08.23	वकील अपीलाण्ट उपस्थित। वकील अपीलाण्ट द्वारा एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की। सुना गया। वकील अपीलाण्ट का तर्क है कि वादी/रैस्पो0 ने विवादित आराजी समस्त को दावे में सम्मिलित नहीं किया है। जबकि इन्हीं सहखातेदार की संयुक्त खातेदारी की आराजी और भी है। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय ने जो एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गयी है वह भी विधि विरूद्ध है एवं उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में अधीनस्थ न्यायालय ने लगभग तीन माह की अग्रिम पेशी निर्धारित की गयी है, जो आदेश 39 नियम 3 ए के प्रावधानो के विपरीत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिए आगामी पेशी दिनांक 09.10.2023 तक के लिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलव किया गया है। उक्त एक एकपक्षीय अंतरिम स्थगन आगामी पेशी दिनांक 09.10.2023 तक का ही जारी किया हुआ है। सामान्यतः एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं होती है। ऐसे आदेश के विरूद्ध अनुतोष, रिवीजन से प्राप्त किया जा सकता है। प्रकरण में, अपीलाण्ट के पास समुचित अवसर था कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष, उनके निर्णय दिनांक 14.07.2023 के विरूद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करवाता। इस अवसर का उपयोग किये बिना, अपील में आना परिहार्य है। वादकरण की बहुलता यथा सम्भव टालने योग्य है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चाराजोही किया जाना विधिक अपेक्षा है। परन्तु हम अपीलाण्ट की इस आपत्ति को भी अनदेखा नहीं कर सकते हैं कि कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय लगभग तीन माह की अग्रिम पेशी निर्धारित की गयी है। जबकि धारा 212 आर. टी. एक्ट के प्रार्थना पत्र को आदेश 39 नियम 3–ए सीपीसी के सुसंगत प्रावधानों एवं माननीय राजस्व मण्डल की फुल बैंच द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसरण में 30 दिवस के अंदर निस्तारित किया जाना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलाण्ट ग्राह्यता स्तर पर ही आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुये, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुये उनके समक्ष लम्बित प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट को आदेश 39 नियम 3–ए सीपीसी के सुसंगत प्रावधानों एवं माननीय	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर (राज.)

राजस्व मण्डल की फुल बैंच द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार
में 30 दिवस के अंदर निस्तारित करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ
न्यायालय को वास्ते पालनार्थ भेजी जावें।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें,
तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी सदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

भू प्रबन्ध अधिकारी
सदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)